

मानु जी, वर्तमान जमावदी के खता सं 566 में करगोसिंह पुत्र लालू, करतारसिंह पुत्र लालू के स्थान पर गत जमावदी खता सं 2069-72 के अनुसार व नम्बर सं 565 दिनांक 22/02/2016 विरासत के अनुसार करगोसिंह पुत्र लालाराम, करतार पुत्र लालाराम पर्ज किया जाना उचित है।  
 कुमाः पट-साहाय 16-09-25

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट श्रीमास्त्री, पटवारी रिपोर्ट एवं गत जमावदी खता सं 2069-72 व नम्बर सं 565 दिनांक 22/02/2016 विरासत के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।  
 मुख्यालय 16/09/25  
 जे.एल. साम्बोका

तहसीलदार की रिपोर्ट प.ह. की रिपोर्ट व नू.अमि की जांच के आधार पर दुरुस्ती किया जाना उचित होगा।  
 18/09/25  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
 407

**प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"**

क्रमांक/ 132

दिनांक:- 23/9/25

**आदेश**

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलद्वारा नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साहाय तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 566 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	करगोसिंह पुत्र लालू करतारसिंह पुत्र लालू शेष लदखर	कता-7	3.35	करगोसिंह पुत्र लालाराम करतार पुत्र लालाराम शेष लदखर	कता-7	3.35



क्रमांक :- 4896-97  
 दिनांक :- 23/9/25  
 प्रतिक्रिया :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थी।  
 2. आदेश पत्रावली।

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर